96

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

## समक्ष

## एस0एस0अली

## सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 487–तीन/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–04–2008 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 755/2005–06 अपील

शिवबकस जायसवाल पुत्र स्व. ददई
ग्राम झारा तहसील देवसर जिला सीधी ——आवेदक

विरूद्ध

1– शिवधारी पुत्र रामभरोषा जैसवाल
2– बलीप्रसाद पुत्र रामसहाय जायसवाल
3– सुरेश प्रसाद पुत्र रामसहाय जायसवाल
4– पापा पुत्र रामसहाय जायसवाल
7– प्रयोग पुत्र रामसहाय जायसवाल
ग्राम झारा तहसील देवसर जिला सीधी ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 29_05 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 755/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–4–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि हलका पटवारी ग्राम झारा ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम झारा की आराजी क्रमांक 751 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के ददई पुत्र रामनाथ जैसवाल कास्तकार रहे है । अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अंतर्गत प्रकरण पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 31–10–1997 पारित करके ददई पुत्र रामनाथ जैसवाल (अब स्वर्गवासी) को भूमिस्वामी घोषित कर शासकीय अभिलेख में नाम दर्ज

करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर बेढ़न ने प्रकरण कमांक 71/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-4-2006 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया। अपर कलेक्टर बेढ़न के आदेश दिनांक 26-4-2006 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 755/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-4-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-10-97 के विरूद्ध अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष बेरूम्याद अपील की गई थी। अपर कलेक्टर ने बेरूम्याद अपील को सुनने में भूल की है अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निवेदन करने पर उनके द्वारा भी इस पर विचार नहीं किया गया है।

आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया। जब अपर कलेक्टर, बैढ़न ने बेरूम्याद अपील प्रस्तुत होने पर विलम्ब को क्षमा किया है तब अपर कलेक्टर के विलम्ब क्षमा करने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक को यथासमय सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करके चुनौती देना थी, किन्तु आज की स्थिति में अपर कलेक्टर का विलम्ब क्षमा करने वावत् दिया गया आदेश अंतिम है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न द्वारा अपील प्रकरण पारित आदेश दिनांक 26-4-2006 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अंतिम आदेश दिनांक 22-4-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में म्याद के संबंध में विचार करना संभव नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि हलका पटवारी ने खतौनी के आधार पर वादग्रस्त भूमि आवेदक के पितामह के नाम गैर हकदार कृषक के रूप में दर्ज होने एंव वाद में भूमि शासन की दर्ज हो जाने के कारण धारा 57 के अंतर्गत कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा था एंव

अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्ण जांच करके अभिलेख में बीच में नाम हट जाने से धारा 57 के अंतर्गत भूमिस्वामी मानते हुये आदेश पारित किया है, परन्तु अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि शासन की दर्ज कराई है।

आवेदक के अभिभाषक के तर्को से परिलक्षित है कि यदि खतौनी में एंव अन्य शासकीय अभिलेख में आवेदक के पितामह का नाम कास्तकार के रूप में दर्ज रहा है और बीच में उनका नाम अभिलेख में अंकित होने से छूट गया है तब मामला संहिता की धरा 57 के अंतर्गत नहीं बनता है क्योंकि लिपिकीय भूल अथवा लिपिकीय त्रृटि संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत दुरूस्ती योग्य है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 22-4-08 में निष्कर्ष दिया है कि वर्ष 1958-59 में भूमिस्वामी घोषित होने तक कब्जे के कालम में अपीलार्थीगणों का कहीं नाम दर्ज नहीं है जब अपीलार्थीगणों का खसरे में कब्जा दर्ज नहीं है तो गैर हकदार कृषक किस तरह माना गया है इसकी विवेचना अनुविभागीय अधिकारी ने नहीं की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा की गई विवेचना से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया है जिसके कारण अपर कलेक्टर बेढ़न ने आदेश दिनांक 26-4-2006 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 22-4-08 पारित करते समय अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 755/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-4-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर